



पंचदश बिहार विधान सभा
घोडश सत्र
ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-16.04.2015 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं.	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री मंजूत कुमार सिंह, संविधान श्री श्याम बिहारी प्रसाद, संविधान श्री गिरिधारी यादव, संविधान श्री रणधीर कुमार सिंह, संविधान श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, संविधान	<p>“उन्हें को 3 लाख 6 हजार 990 इक्के उत्पादकों द्वारा चीनी मिलों में वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 में गन्ना की आपूर्ति बोगई है लेकिन अवश्यक चीनी मिलों द्वारा 6 अरब 13 करोड़ 27 लाख 21 हजार रुपये का इस भूल्य का भुगतान किसानों को नहीं किया गया है।</p> <p>पेराई सत्र 2013-14 में गन्ना आपूर्ति करने वाले छोटे-छोटे कृषकों को आपूर्ति किये गये इच्छा के भूल्य का 20 हजार रुपये तक नगद भुगतान की व्यवस्था थी। इच्छा आयुक्त, बिहार ने जारी-1412, दिनांक-02.07.2014 द्वारा उक्त भुगतान पर रोक लगा दी है, जिससे छोटे-छोटे किसानों को कठिनाईयाँ उत्पन्न हो रही हैं।</p>	गन्ना उद्योग

अतः हम गन्ना किसानों के बकाये गांश का भुगतान एवं छोटे-छोटे किसानों को 20 हजार रुपये तक का भुगतान करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विधय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री अम्बुल बारी सिंहिकी, स०वि०स० डा० अम्बुल माफूर, स०वि०स० श्री भाई चिरेन्द, स०वि०स० डा० फैयाज अहमद, स०वि०स०	<p>“कटिहार जिलान्तरगत मनस्साहो प्रखंड के मोहनपुर पंचायत में सरकारी भवन बनना या व्योक्ति पंचायत का मुख्यालय उसी गाँव में है। राज पंचायत सरकार भवन बनाने हेतु 53 डिसम्बर जमीन भी मोहनपुर गाँव में उपलब्ध है लेकिन स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी तथा जिलाधिकारी, कटिहार की गलत भूमा के कारण भौजा मोहनपुर रामपुर संतोला में 40 वर्गों से बड़े एक दृष्टिप्रिय भवन को जबरन हटाकर उसके जमीन पर भवन का निर्माण किया जा रहा है। इसके संबंध में श्री महेन्द्र नारायण खादव, पूर्व मंत्री, विहार, स्थानीय मुख्यमन्त्री श्री शशि कुमार मंडल एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा विरोध किए जाने पर इसकी जाँच जिला पंचायत पदाधिकारी एवं डी०डी०सी०, कटिहार से कराई गई। जाँच प्रतिवेदन में जिला पदाधिकारी को स्पष्ट लिखा गया कि रामपुर संतोला में पंचायत भवन का निर्माण करना गलत है। उक्त दोनों पदाधिकारियों द्वारा एडीमेंट एवं निविदा को रद करने की अनुशंसा भी की गई लेकिन जिलाधिकारी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और निर्माण कार्य जारी है।</p> <p>अतः हम मोहनपुर गाँव में पंचायत सरकार भवन बनाने एवं दोनों अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”</p>	

हरेराम मुख्यमन्त्री

प्रभारी सचिव,

विहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-22/15-

758

/ विंस०, पटना, दिनांक- / 5 अप्रैल, 2015 ई०।

प्रति :- विहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिमण / मुख्य सचिव, विहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप सचिव / कार्यकारी सचिव, विहार विधान परिषद् / महाभिवक्ता, विहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / गन्ना उद्योग विभाग तथा पंचायती राज विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मृ०८५१५१५

(भूषण कुमार ज्ञा)

उप सचिव,

विहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-22/15-

758

/ विंस०, पटना, दिनांक- / 5 अप्रैल, 2015 ई०।

प्रति :- उप सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अधर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, विहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

मृ०८५१५१५

(भूषण कुमार ज्ञा)

उप सचिव,

विहार विधान सभा, पटना।

मृ०८५१५१५